

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
509	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.161) दि. 10-03-2016 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सीहोर जिले के इच्छावर विधान सभा क्षेत्र सहित प्रदेश में स्थाई विद्युत कनेक्शनधारी कृषकों को श्रेसर चलाने की अनुमति दी जाना ।	ठीक है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
510	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.510) दि. 10-03-2016 (श्री मुकेश नायक)	पन्ना जिले की पवई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बलराम तालाब योजना में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच करा लेंगे। (2) हम भोपाल से अधिकारियों का दल बनाकर जांच करा लेंगे और माननीय सदस्य जहां पर भी जांच में जाना चाहेंगे, वहां पर उनको सम्मिलित भी कर लेंगे।		
511	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.153 (प्रश्न क्रं.5322) दि. 10-03-2016 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	देवास एवं सिंगरौली जिले में बलराम तालाब योजना में की गई आर्थिक अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं सिंगरौली जिले की जांच संयुक्त संचालक रीवा द्वारा की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।		
512	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.165 (प्रश्न क्रं.5467) दि. 10-03-2016 (श्री संजय पाठक)	विधान सभा प्रश्न क्र.1671, दिनांक 26.02.2015 के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
513	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.170 (प्रश्न क्रं.5507) दि. 10-03-2016 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश में सांवरिया ग्रुप द्वारा मंडी टेक्स चोरी किये जाने के संबंध में म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश दिनांक 04.12.2015 द्वारा गठित जांच दलों द्वारा जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) मंडी बोर्ड के सात आंचलिक कार्यालयों के पृथक-पृथक जांच दल गठित किये गये हैं। (2) अंतरिम प्रतिवेदन एक सप्ताह में तथा अंतिम प्रतिवेदन एक माह में राज्य शासन को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया था।		
514	अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.3868) दि. 10-03-2016 (श्री प्रहलाद भारती)	(1) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर में एक ही पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से एक ही पद हेतु पुनः विज्ञापन जारी करने के कारण दूसरी बार लिये गये आवेदन शुल्क को वापस किया जाना। (2) शेष रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति किया जाना।	(1) शुल्क वापिस किये जाने हेतु विचार किया जावेगा। (2) शीघ्र ही शेष रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>515</b>	अतारंकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.4872) दि. 10-03-2016 (श्री हर्ष यादव)	जिला सागर में कृषि योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच एवं जांच निष्कर्ष में दोषी पाये गये श्री एम.एल.चौहान, तत्कालीन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला सागर के विरुद्ध नियमानुसार समय-सीमा में विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
<b>516</b>	अतारंकित प्रश्न सं.152 (प्रश्न क्रं.5236) दि. 10-03-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में वर्ष 2015 में खरीदे गये कृषि उपकरणों की जांच शासनादेश अनुसार किया जाना एवं जांच रिपोर्ट शासन को शीघ्र भेजा जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। (2) जांच की गई है। कार्यवाही संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (3) वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।		
<b>517</b>	अतारंकित प्रश्न सं.159 (प्रश्न क्रं.5342) दि. 10-03-2016 (श्री दिनेश राय)	प्रदेश में वर्ष 2015 में कृषकों की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2015 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति का शीघ्र आंकलन कर प्रभावित कृषकों को फसल बीमा की राशि स्वीकृत कर वितरित कराया जाना।	क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
518	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.215) दि. 10-03-2016 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	जबलपुर जिले की नगर परिषद बरेला क्षेत्र में पेयजल समस्या निवारण हेतु नर्मदा नदी अथवा स्थानीय गौर नदी का डीपीआर शीघ्र बनवाकर स्वीकृति प्रदान की जाना ।	(1) दोनों हम डीपीआर बनवायेंगे । (2) उसे स्वीकृति वह देंगे । (3) हम दोनों डीपीआर बनवाकर देंगे । (4) दोनों को हम प्रस्तावित कर देंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
519	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.5544) दि. 10-03-2016 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास जिले के बागली एवं कन्नौद विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत तृतीय चरण में सड़क के घटिया निर्माण कार्य किये जाने की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से समय-सीमा में कराई जाना।	(1) हम यहां से वरिष्ठ अधिकारी चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी को भेजकर के इसकी जांच करा लेंगे और गड़बड़ी पाई जायेगी तो कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य चाहें तो साथ में चले जायें, वह भी बता देंगे। (2) इस सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद।		
520	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.3311) दि. 10-03-2016 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले की बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पात्र ग्रामों को सम्मिलित कर समय-सीमा में सड़कों का निर्माण कराया जाना।	(1) हम परीक्षण करा लेंगे। (2) हम एक वर्ष में बनाने की यथासंभव कोशिश करेंगे। हम शीघ्रातिशीघ्र इस काम को करेंगे।		
521	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.618) दि. 10-03-2016 (श्री राजेश सोनकर)	(1) इंदौर जिले की सांवेर विधान सभा के ग्राम मांगलिया में निर्माणाधीन ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना। (2) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा सूची उपलब्ध कराने पर सूची अनुसार सड़कों की स्वीकृति दी जाना।	(1) संबंधित एजेंसी को हम निर्देशित करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाये। एक समयसीमा में हम उस कार्य को करा देंगे। (2) माननीय सदस्य सूची उपलब्ध करा दें। हम परीक्षण कराकर जो कुछ भी हो सकेगा, हम करेंगे।		
522	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.3797) दि. 10-03-2016 (श्री मोती कश्यप)	(1) जिला कटनी विकासखण्ड ढीमरखेड़ा में निर्माणाधीन खमतरा से महगवां मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाना। (2) उक्त निर्माणाधीन मार्ग पर दिनांक 06.02.2016 को मोटर साइकिल से रेखाबाई आदिवासी की 02 वर्ष की बच्ची के गिर जाने से हुई मौत पर आर्थिक सहायता दिया जाना।	(1) खमतरा से महागवां मार्ग का निर्माण हम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने का भी काम कर लेंगे। (2) मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अनुकंपा से अपने रिलीफ फंड से उसके लिए कुछ राशि प्रदान करें।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.1020) दि. 10-03-2016 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले की जनपद पंचायत गोंहपारू की ग्राम पंचायत नवागांव के बाल गोविन्द पिता द्वारिका प्रसाद गुप्ता के अपात्र होते हुए भी नियम विरुद्ध इंदिरा आवास स्वीकृत कर 37500/- रू. की प्रथम किश्त जारी करने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोंहपारू के विरुद्ध कार्यवाही एवं राशि वसूली की जाना ।	अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।		
524	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्रं.1789) दि. 10-03-2016 (श्री सुदेश राय)	विधान सभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ग्राम पंचायतों में सरपंच/सचिव द्वारा शासन की योजनाओं में आर्थिक अनियमितता किये जाने की जांच एवं राशि की वसूली तथा जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में राशि वसूली की कार्यवाही, जनपद पंचायत सीहोर के पत्र क्रमांक 51 दिनांक 06.02.16 तत्कालीन सरपंच एवं सचिव को जारी कर, प्रचलित है ।		
525	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.2582) दि. 10-03-2016 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले की सिरमौर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनकहाई घाट पर उदरा नाले पर निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रचलन में है ।		
526	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.96 (प्रश्न क्रं.4366) दि. 10-03-2016 (डॉ. कैलाश जाटव)	नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शेष ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना ।	जी हों । मार्गों की स्वीकृति की कार्यवाही परीक्षणाधीन है ।		
527	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.4384) दि. 10-03-2016 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले की सुमावली विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुमावली में वर्ष 2015 में मनरेगा के कार्यों में मृतक, विकलांग एवं काल्पनिक नामों से मजदूरी की राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
528	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.104 (प्रश्न क्रं.4431) दि. 10-03-2016 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बी.आर.सी.सी. जैसीनगर के भवन का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किये जाने से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई । विभागीय जांच पूर्ण होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
529	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्रं.4583) दि. 10-03-2016 (श्रीमती अनीता नायक)	टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्वीकृत मार्गों पर बारहमासी आवागमन के लिए 10 मीटर से अधिक स्पान की पुलियों का निर्माण किया जाना ।	जी हों । टीकमगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 10 मी. से अधिक स्पान की पुलियों की स्वीकृति पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्रों में 03, जतारा में 01, खरगापुर में 01 एवं निवाड़ी में 01 परीक्षाधीन है ।		
530	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.135 (प्रश्न क्रं.4847) दि. 10-03-2016 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले की कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट ग्राम योजना अंतर्गत मुख्य मार्ग से जुड़े चयनित ग्रामों के विकास हेतु शीघ्र राशि प्रदाय किया जाना ।	चयनित ग्रामों को राशि प्रदाय किया जाना शासन प्रक्रियाधीन है ।		
531	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्रं.4898) दि. 10-03-2016 (श्री कमल मर्सकोले)	सिवनी जिले में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में आउट डोर मीडिया तथा मास मीडिया में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण की जांच के निर्देश दिये गये है, जांच उपरांत जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
532	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.147 (प्रश्न क्रं.5206) दि. 10-03-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अतरैला घूमन रोड से बसरेही, बराह डभौरा रोड से किरहाई एवं पटेहरा लटियार रोड से बरहुला सीगोटोला सड़क निर्माण का पूर्ण निर्माण कार्य नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किये जाने पर ठेका निरस्त किये जाने के साथ ही अनुबंध अनुसार ठेकेदार से शेष राशि की वसूली की जाना ।	शेष वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.159 (प्रश्न क्रं.5377) दि. 10-03-2016 (पं. रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले में बड़ोसा के समीप प्रवाहित सर्पा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर उत्तरदायी ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध अनुसार कार्यवाही करने के साथ ही पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
534	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.1661) दि. 10-03-2016 (श्रीमती ममता मीना)	जिला गुना के विकासखण्ड गुना अंतर्गत ग्राम पंचायत हिलगना एवं ग्राम गादेर में पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की राशि के चेक का भुगतान अशोक कुमार शर्मा लिपिक को किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
535	अतारांकित प्रश्न सं.29 (प्रश्न क्रं.1861) दि. 10-03-2016 (श्री मुकेश नायक)	पन्ना जिले की पवई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़को का निर्माण कार्य समय-सीमा में कराया जाना।	अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।		
536	अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.2883) दि. 10-03-2016 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	(1) वर्ष 2015 में प्रदेश की आंगनवाडियों, छात्रावासों एवं स्कूलों में वितरित किये जाने वाला सुगंधित दूध पाउडर के एक्सपायर्ड हो जाने की जांच एवं एक्सपायर्ड दूध पाउडर म.प्र.दुग्ध सहकारी संघ को शीघ्र वापस किया जाना। (2) खरगोन जिले के जनपद पंचायत भगवानपुरा में अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में दुग्ध संघ इंदौर से प्राप्त किया गया दुग्ध पाउडर विकासखण्ड भगवानपुरा के जनशिक्षकों द्वारा माहवार नियमित रूप से उठाव नहीं किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) एक्सपायर्ड दूध म.प्र. दुग्ध सहकारी संघ को वापस करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) ऐसे जनशिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है।		
537	अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.4485) दि. 10-03-2016 (श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू)	बी.आर.जी.एफ. योजना के बंद होने के उपरांत पद मुक्त उपयंत्रियों का साक्षात्कार दिनांक 28.07.2015 को लिये जाने के बाद शीघ्र परिणाम घोषित किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>538</b>	अतारंकित प्रश्न सं.150 (प्रश्न क्रं.5193) दि. 10-03-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले की जनपद पंचायत रामपुर बघेलान की ग्राम पंचायत लखहा के तत्कालीन सचिव को लोकायुक्त द्वारा शासकीय राशि का अवैधानिक आहरण का दोषी पाये जाने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना ।	सचिव के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर बघेलान को एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।		
<b>539</b>	अतारंकित प्रश्न सं.172 (प्रश्न क्रं.5499) दि. 10-03-2016 (श्री जालम सिंह पटेल)	नरसिंहपुर जिले के बरमान कलां के बस स्टेण्ड में अवैध वसूली एवं संचालन किये जाने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा अनुसार संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) कलेक्टर नरसिंहपुर को एक माह के अन्दर जांच सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया है । (2) जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

राजस्व विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
540	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.4368) दि. 10-03-2016 (डॉ. कैलाश जाटव)	नरसिंहपुर जिले के तहसील मुख्यालय में स्थाई अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) की पदस्थापना किये जाने संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जाना।	(1) हम स्थाई अनुविभागीय अधिकारी पदस्थ कर देंगे। (2) जल्दी ही, शीघ्र आदेश कर देंगे।		
541	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.2622) दि. 10-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र. 783, 784, 785 एवं 786 की भूमि शासकीय इंटर कॉलेज पुरानी छावनी को नियमानुसार आवंटित किया जाना।	कॉलेज की तरफ से वह एक आवेदन कर दें कलेक्टर ग्वालियर को, निश्चित रूप से आपके सुझाव पर गंभीरता से, बहुत ही गंभीरता से विचार किया जायेगा।		
542	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.4039) दि. 10-03-2016 (श्री संजय शाह मकडई)	(1) हरदा जिले की टिमरनी नगर परिषद सीमा में राधास्वामी सतसंग सभा आगरा की स्वयं की 6.962 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होने के बावजूद इस संस्था को नजूल भूमि शीट क्रमांक 12 डी प्लॉट नं.26, 3.47 एकड़ मिडिल स्कूल परिसर एवं शाला भवन खेल परिसर हेतु स्थायी लीज पर दिनांक 25.01.1993 द्वारा 30 वर्ष तक स्वीकृत किये जाने एवं भूमि आवंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना। (2) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हरदा के प्रकरण क्र. 712/अ/20/1 वर्ष 1989-90 आदेश दिनांक 25.01.1990 के आदेश की प्रति प्रश्नकर्ता मा.सदस्य को उपलब्ध कराया जाना।	(1) माननीय सदस्य विन्दु बतायेंगे उन पर कार्यवाही करेंगे। (2) जिस आदेश की कापी का माननीय विधायक जी उल्लेख कर रहे हैं उसको हम माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा देंगे। (3) आज ही करा देंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
543	तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.1255) दि. 10-03-2016 (डॉ. मोहन यादव)	प्रदेश में अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण के अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना तथा यह सुनिश्चित किया जाना कि इससे कृषकों को परेशानी न हो।	अविवादित नामांतरण की शक्तियां ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण अधिकार की कार्यवाही परीक्षणधीन है। कृषकों को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।		
544	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.189) दि. 10-03-2016 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अटल सरोवर के चारो ओर संजय नगर/दादाजी वार्ड में शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर शीघ्र हटाया जाना।	विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है।		
545	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.1734) दि. 10-03-2016 (श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा))	रंगजी महाराज ट्रस्ट जावरा, जिला रतलाम को जांच में नियम विरुद्ध भूमि बंटन के लिए संबंधित दोषियों के विरुद्ध समय-सीमा में नियमानुसार कार्यवाही एवं भूमि की रजिस्ट्री निरस्त तथा ट्रस्ट की भूमि पर नियम विरुद्ध सांसद एवं विधायक निधि से बनाये गये भवन को प्रशासन द्वारा आधिपत्य में लिया जाना।	(1) दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था। (2) दोषी तहसीलदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन को आरोप पत्रादि जारी किये जाने हेतु भेजे गये। (3) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व जावरा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. को लिखा गया। (4) तत्कालीन प्रवाचक के विरुद्ध कार्यवाही पृथक से की जा रही है। (5) मूल प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
546	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.2299) दि. 10-03-2016 (श्री अरूण भीमावद)	जिला शाजापुर के विकासखण्ड मो.बडोदिया क्षेत्र में माह 2015 में ओला वृष्टि/असामयिक वर्षा से संतरे की फसल को हुए नुकसान में अपात्र कृषकों को राहत वितरण के लिए दोषी पटवारी के विरुद्ध समय-सीमा में जांच कराई जाकर कार्यवाही की जाना।	एक पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई।		
547	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.2873) दि. 10-03-2016 (श्री गोपीलाल जाटव)	जिला अशोक नगर में समस्त विभागों के स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
548	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.3581) दि. 10-03-2016 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले के अनूपपुर जैतहरी, वेंकटनगर, राजेन्द्र ग्राम में नजूल भूमि पर अनेक वर्षों से काबिजों के मालिकाना हक प्रदान किया जाना ।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
549	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.94) दि. 10-03-2016 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा)	तहसील पिपलौदा जिला रतलाम के ग्राम चिपिया, रियावन झातला, जैठाना, रानीगांव, कसेर, बिलन्दपूर, तालीदाना, पंचेवा, भाकरखेड़ी आदि में गलत बंदोबस्त के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाना ।	ग्राम रानीगाँव, भाटखेड़ी, मावता, तालीदाना एवं बरवड की शिकायतों पर नियमानुसार निराकरण हेतु विचारण में है ।		
550	अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.336) दि. 10-03-2016 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	धार जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में आर्थिक अपराधों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) वर्तमान में 4 शिकायतों में जांच प्रचलित है । (2) शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जाकर जांच करवाई जा रही है । वर्तमान में जांच प्रचलित है ।		
551	अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.555) दि. 10-03-2016 (श्रीमती रुषा चौधरी)	प्रदेश के कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि किया जाना ।	कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि पर विचार किया जावेगा ।		
552	अतारांकित प्रश्न सं.170 (प्रश्न क्रं.5482) दि. 10-03-2016 (श्री पन्नालाल शाक्य)	गुना जिले के ग्राम रिछेरा में पड़त व बंजर भूमि के भू-स्वामियों को (कृषकों) ओलावृष्टि से फसल का नुकसान करने वाले पटवारी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यावाही की जाना ।	विभागीय जांच प्रचलित है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
553	मांग संख्या (क्रमांक 24) दि. 10-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एम.पी.स्टेट हाईवे-45 एवं स्टेट हाईवे-02 भिण्ड-गोपालपुर मार्ग का घटिया निर्माण एवं अनुबंधित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की जांच प्रमुख सचिव, लोक निर्माण से कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	6 अप्रैल को पी.एस. लहार पहुंचेंगे और आप भी पहुंचिये आपके सामने उसकी जांच होगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सहकारिता विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
554	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.5447) दि. 10-03-2016 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले के अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित चन्दला के संचालक मण्डल का फर्जी निर्वाचन की कराई गई जांच में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।		
555	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.5006) दि. 10-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल जिला सहकारी बैंक द्वारा किसानों की ऋण गांरटी में रखी गई भूमि ओने-पोने दाम पर नीलाम किये जाने के संबंध में मा.उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के पालन में कार्यवाही एवं किसानों का ब्याज माफ किया जाना ।	इसका परीक्षण करा लेंगे ।		
556	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.2623) दि. 10-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	श्री रामकुमार कौरव निवासी ग्राम खूजा जिला भिण्ड को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बरथरा जांच में प्राथमिक सदस्यता अपात्र पाये जाने पर शीघ्र पद से पृथक किया जाना एवं श्री कौरव को नियम विरुद्ध दुग्ध संघ ग्वालियर का प्रतिनिधि बनाये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	अपात्र सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । परीक्षणोपरांत कार्यवाही की जाएगी ।		
557	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.3954) दि. 10-03-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	जिला सहकारी बैंक रीवा में बगैर जांच-परख किये लाखों-लाख रूपये का भुगतान संबंधी घोटाले की जांच तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता की भी जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	रीवा बैंक के संबंध में जांच प्रक्रियाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>558</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.4445) दि. 10-03-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद में वित्तीय अनियमितता के संबंध में हरदा थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 150/15 के 19 आरोपियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा-नियम के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित है । विभागीय जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
<b>559</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.4446) दि. 10-03-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	श्री ए.के.हरसौला तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक मंदसौर के कार्यकाल वर्ष 2005 से 2011 की अवधि में वेयर हाउसिंग व्यवसाय की फर्जी रसीद के आधार पर अनियमित ऋण स्वीकृत किये जाने की जांच एवं कालातीत ऋण वसूली की जाना एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध संस्थित जांच समय-सीमा में की जाना ।	(1) चल-अचल संपत्ति कुर्क वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । श्री ए.के. हरसौला के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है । (2) प्रकरण पंजीबद्ध कर विचाराधीन है ।		
<b>560</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.141 (प्रश्न क्रं.5037) दि. 10-03-2016 (श्री गिरीश भंडारी)	प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में संवर्ग समिति प्रबंधक नियुक्त किये जाने हेतु शीघ्र नियम बनाया जाना ।	नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
<b>561</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.144 (प्रश्न क्रं.5160) दि. 10-03-2016 (श्री विश्वास सारंग)	भोपाल एवं रायसेन जिले में वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में गेहूं उपार्जन में अधिक व्यय किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	अधिक व्ययों के संबंध में जांच के निर्देश दिये गये हैं ।		
<b>562</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.148 (प्रश्न क्रं.5209) दि. 10-03-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के सेवा सहकारी समिति मनगवां, परासी, चांदी, गढवा, जवा(टगहा, नौबस्ता) सिरमौर, चोरहटा में वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में समितियों पर वर्षों से बैलेंस सीट में बकाया नामे राशि एवं ऑडिट आक्षेप की राशि संबंधितों से ब्याज राशि सहित की वसूली एवं वाद दायर किया जाना ।	जी हाँ, वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64 व 68 में वाद दायर किया जाएगा, वसूली न होने पर यथास्थिति निर्णय लिया जाएगा ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>563</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.157 (प्रश्न क्रं.5346) दि. 10-03-2016 (कुँवर सौरभ सिंह)	प्रश्नकर्ता सदस्य एवं कृषकों से प्राप्त शिकायत के आधार पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं जांच अधिकारी सहकारी संस्थाएं कटनी द्वारा फसल बीमा की राशि कृषकों को नहीं मिलने की जांच में दोषी पाये गये संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही एवं किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान किया जाना ।	(1) संबंधित संस्था से उन कृषकों को उक्त बीमा राशि का भुगतान करने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों से वसूल करने के निर्देश दिये गये हैं । (2) दोषी कर्मचारियों को गंभीर दुराचरण अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है । कर्मचारी सेवा-नियम अंतर्गत दण्ड दिया जायेगा ।		
<b>564</b>	अतारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.4138) दि. 10-03-2016 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर जिले में वर्ष 2012 से 2015 की अवधि में सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा गेहूं उपार्जन में अधिक व्यय किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	व्ययों के संबंध में जांच के निर्देश दिये गये हैं: कार्रवाई जांच निष्कर्षों के अधीन ।		
<b>565</b>	अतारांकित प्रश्न सं.112 (प्रश्न क्रं.4541) दि. 10-03-2016 (श्री रामलाल रौतेल)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अमरपाटन जिला सतना के शाखा प्रबंधक द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्थानान्तरण किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	दोषी शाखा प्रबंधक के विरुद्ध सेवानियम के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।		
<b>566</b>	अतारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.5007) दि. 10-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा वर्ष 2004-05 के अंकक्षण प्रतिवेदन में की गई अनियमितताएं एवं अवैध कारोबार किये जाने के संबंध में याचिका क्र. 7561/2013 में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए आदेशानुसार राज्य सहकारी सतर्कता सेल द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.05.14 में दिए निर्णयानुसार संबंधित दोषियों के विरुद्ध समय-सीमा में कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रतिवेदन के अनुसार संस्था में पायी गई अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा उप आयुक्त, सहकारिता, भोपाल जो कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी थे, को निर्देशित किया गया ।		
<b>567</b>	अतारांकित प्रश्न सं.155 (प्रश्न क्रं.5259) दि. 10-03-2016 (श्री उमंग सिंघार)	(1) हजरत निजामुद्दीन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल द्वारा सदस्यों की वरीयता का उल्लंघन कर भू-खण्ड आवंटन किये जाने की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था अध्यक्ष एवं अन्य के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना । (2) अता.प्र.सं.27 (क्र.921) दिनांक 14.01.2015 के संदर्भ में कर्मचारियों को जांच पूर्ण न कराने हेतु जिम्मेदार पाये जाने पर दिनांक 30.12.2015 को कारण बताओं सूचना पत्र के बाद सा.प्र.वि. के आदेशानुसार समय-सीमा में कार्यवाही किया जाना ।	(1) सुनवाई पश्चात गुण-दोष के आधार पर दण्ड नियत किया जायेगा । (2) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
568	अतारांकित प्रश्न सं.163 (प्रश्न क्रं.5355) दि. 10-03-2016 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद की शहर शाखा हरदा में गबन धोखाधड़ी आदि के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) सेवा नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने तथा अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है। (2) विभागीय जांच संस्थित की गई है जो प्रक्रियाधीन है। (3) इस प्रकरण में कर्मचारी सेवा नियम के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

दिनांक: 10-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
569	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.3672) दि. 10-03-2016 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	(1) सागर जिले की जनपद पंचायतों में विगत दो वर्षों में जनश्री बीमा एवं आम आदमी बीमा के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाकर हितग्राहियों को लाभांवित किया जाना ।  (2) बीमित हितग्राही के बीमा क्लेम के आवेदन फार्म भरवा कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पटवारी/पंचायत सचिव की फिक्स की जाना ।	(1) आज ही पत्र लिख करके, उनसे कि जो पिछले दो वर्षों से लंबित मामले हैं, यदि वह कहीं विचाराधीन, लंबित हैं, तो उनके लिये जल्दी से जल्दी वह संबंधित कंपनी के पास भेजें और स्वयं संपर्क करके उन मामलों को निर्णित करवायें और जो हितग्राही हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको उसका लाभ दिलवायें ।  (2) जो पत्र भेजेंगे, उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित कर देंगे ।		